मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

<u>अपील क्रमांक ए–138/रा.सू.आ./20.3/जबलपुर/06</u>

श्री एस0एस0बख्शी,
अपीलकर्ता
104, जे0के0काम्पलेक्स,
गोरखपुर, जबलपुर

विरूद्ध

श्रीमती निशा तिवारी, *लोक सूचना अधिकारी*
प्राचार्य,शासकीय मानकुंवर बाई
कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला
महाविद्यालय, जबलपुर

<u>(आदेश दिनांक 15 जून, 2006)</u>

यह अपील श्री एस0एस0बख्शी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर से निम्न जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 31 जनवरी, 2006 को आवेदन दिया था–

1) वर्ष 1999 की बी0काम0 तृतीय विषय सांख्यिकी रोल नम्बर 2662 एवं 2694 उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों सहित अन्तिम पृष्ठ छोडकर पूरी उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठों की एक–एक छाया प्रति ।

2) वर्ष 1999 बी0काम0 तृतीय वर्ष विषय सांख्यिकी की स्टेटमेंट आफ मार्क्स की एक – एक छाया प्रति ।

2. इस आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को दिनांक 4 मार्च, 2006 को सूचित किया कि परीक्षा संबंधी दस्तावेज अत्यधिक संवेदनशील एवं गोपनीय होते हैं अतः उन्हें सार्वजनिक करना संभव नही है । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने एक अपील अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर

को प्रस्तुत की थी । अपीलीय अधिकारी ने इस अपील पर दिनांक 27 अप्रैल, 2006 को आदेश पारित करके इस अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता के व्दारा मांगे गये अभिलेख उनके विरूद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया से संबंधित है और अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) की परिधि में आते हैं ।

3. अपीलकर्ता के व्दारा अपील आदेश पारित होने के पूर्व ही अपीलकर्ता ने एक अपील दिनांक 25 मार्च, 2006 को राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है जिसमें उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है । उनका यह कहना है कि यह जानकारी वर्ष 1999 की परीक्षा से संबंधित है जिसका परीक्षाफल 6 वर्ष पूर्व निकल चुका है इसलिये यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 और 9 के अन्तर्गत नही आता है ।

4. इस विषय पर अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को जबलपुर में दिनांक 15 जून, 2006 को सुना गया । अपीलकर्ता ने जो जानकारी मांगी है उसमें रोल नं0 2662 एवं 2694 की उत्तर पुस्तिकओं के आवरण पृष्ठों सहित अन्तिम पृष्ठों को छोडकर पूरी उत्तर पुस्तिकाओं की पृष्ठों की छाया प्रति मांगी है । इस प्रकार यह जानकारी व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आती है और इसे देने के लिये लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) में देने के लिये बाध्य नही है अतः यह जानकारी अपीलकर्ता को तभी दी जा सकती है जबकि इसका संबंध किसी प्रकार से लोकहित से और लोक क्रिया कलापों से हों । अपीलकर्ता से पूछा गया कि वह यह बताये कि इन दोनों उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति किस प्रकार से लोकहित या लोक क्रिया कलापों से संबंधित है वह इस बारे मे कोई प्रकाश नही डाल पाये । उनका यह कहना था कि वह उनके स्वंय की विभागीय जांच से संबंधित है इसलिये यह उन्हें मिलना चाहिये । इसी के साथ–साथ अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उनकी विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और प्रकरण शासन के समक्ष निर्णय की स्थिति में इसलिये किस प्रकार से यह जानकारी लोक हित या लोक क्रिया कलाप से संबंधित है वह नही बता पाये । अपीलकर्ता को यदि यह जानकारी अपनी विभागीय जांच के संबंध में चाहिये थी तो उन्हें विभागीय जांच अधिकारी से निवेदन करना चाहिये था । यह जानकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलकर्ता को नही प्रदान की जा सकती है ।

5. दूसरा बिन्दु वर्ष 1999 की बी0काम0 तृतीय वर्ष की सांख्यिकी विषय की स्टेटमेंट आफ मार्क्स की छाया प्रति से संबंधित है । यह जानकारी भी व्यक्तिगत श्रेणी में आती है क्योंकि इसका संबंध प्रत्येक छात्र या छात्रा से है । इस प्रकार से यह जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है । अपीलकर्ता से यह पूछा गया इस जानकारी का

संबंध किस प्रकार से लोक हित या लोक क्रिया कलाप से है वह इस विषय पर कोई प्रकाश नही डाल पाये, अतः यह जानकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलकर्ता को नही प्रदान की जा सकती है ।

6 उपरोक्त कारणों के प्रकाश में यह अपील निरस्त की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त